

पत्रांक..... /

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर
प्रेषक ,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

मेदिनीनगर, दिनांक..... /

विषय:- झारखण्ड विधान सभा की प्राक्कलन समिति की बैठक के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय ज्ञापांक 4826 दिनांक 07.9.2015 तथा मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 513 दिनांक 08.9.2015

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड विधान सभा की प्राक्कलन समिति की दिनांक 10.9.2015 को 11.00 बजे आहूत बैठक में विचार-विमर्श होने वाली बिन्दुओं पर इस प्रमण्डल से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अमानत बराज जलाशय योजना अन्तर्गत कुल 320.00 एकड़ (लगभग) वन भूमि के अपयोजन के विरुद्ध कुल 323.57 एकड़ गैर वन भूमि का प्रारम्भिक चरण में चयन कर लिया गया है।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह० / -

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमंडल।

ज्ञापांक..... / दिनांक..... /

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर को सनुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
अनु०-यथोक्त ।

ह० / -

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

ज्ञापांक 2455 / दिनांक 09-09-15 /

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, पलामू को सनुलनक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

त बराज का नहर निर्माण हेतु 127.85 हे० वन भूमि अपयोजन के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि से संबंधित प्रतिवेदन ।

	प्रक्षेत्र का नाम	ग्राम	थाना / थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	भूमि का किस्म	अतिक्रमण की स्थिति	वन भूमि की दूरी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कुन्दरी प्रक्षेत्र	बसरिया	लेस्लीगंज 413	125	246	37.78	जंगल-झाड़	-वही-	04 कि.मी.	क्षतिपूरक वनरोपण योग्य है, वर्ष 2014 में सा०वा० प्रक्षेत्र डालटनगंज द्वारा जी०एम० भूमि पर वनरोपण किया जा चुका है। विदोहन के उपरान्त वर्ष 2024 में क्षतिपूरक वनरोपण किया जायेगा।
2	कुन्दरी प्रक्षेत्र	दुलसुलमी	सतबरवा	23	114	23.30 एकड़	टोंगरी	-वही-	-	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु योग्य है। टुंगरी नुमा होने के कारण केवल अवकृष्ट वनों पुनर्वास योजना के अन्तर्गत 1000 पौधे प्रति हेक्टर लगाया जा सकता है।
3	पाटन प्रक्षेत्र	नावाडीह	सतबरवा	42	217	30.49 एकड़	टोंगरी	-वही-	-	-वही-
4	मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र	गोदरमा कला	थाना नं०- 41	118	1529	21.40 एकड़	जंगल-झाड़	-	5 कि०मी०	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु योग्य है। पहाड़ी पथरीला तथा जंगल झाड़ होने के कारण केवल अवकृष्ट वनों के पुनर्वास योजना अन्तर्गत 1000 पौधे प्रति हे० लगाया जा सकता है।
5	मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र	हिसरा	थाना- 591	20	240	16.45 एकड़	जंगल-झाड़	-	5 चैन	-वही-
6	मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र	नकैनियां	हुसैनाबाद - 324	104	474	66.00 एकड़	पहाड़	अतिक्रमण मुक्त	02 कि०मी०	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु योग्य है। पहाड़ी, पथरीला तथा छोटे-छोटे झाड़ीनुमा पौधे मौजूद हैं। अवकृष्ट वनों के पुनर्वास योजना अन्तर्गत 1000 पौधे प्रति हे० लगाया जा सकता है।
7	मनातू प्रक्षेत्र	भितकिला	थाना नं०- 359	27	279	18.10 एकड़	टोंगरी	अतिक्रमण मुक्त	-	क्षतिपूरक वनरोपण योग्य है। अवकृष्ट वनों के पुनर्वास योजना के तहत 1000 पौधे प्रति हेक्टर लगाया जा सकता है।
8	छतरपुर पश्चिमी	पीपराहाट	छतरपुर	-	92, 129	18.00 एकड़	-	अतिक्रमण मुक्त	-	क्षतिपूरक वनरोपण योग्य। पहाड़ी एवं पथरीला भूमि है, चिलबिल, परारी, करम आदि के प्राकृतिक पेंड उपलब्ध है। जिस पर अवकृष्ट वनों के पुनर्वास योजना अंतर्गत 1000 पौधे प्रति हे० लगाये जा सकते हैं।
9	पाटन	भूसरा	-	-	-	45.00 एकड़	चारागाह	-	-	क्षतिपूरक वनरोपण योग्य।
10	पाटन	चेचरिया	-	27	01, 15 एवं 281	47.05 एकड़	-	-	-	क्षतिपूरक वनरोपण योग्य।

कुल:-323.57 एकड़

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।